

Guidelines for Low Input Technology Poultry and Pilot Quail Farming Development Project

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत राजकीय कुक्कुट शाला खातीपुरा जयपुर को राज्य में low input technology poultry तथा quail farming विकास हेतु एक परियोजना स्वीकृत की गई है।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य low input technology poultry का विकास तथा इसके द्वारा महिला समुह, सीमान्त कृषक, भूमिहीन कृषक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों का सामाजिक व आर्थिक उत्थान तथा उच्च गुणवत्ता के प्रोटीन की आहार में खपत बढ़ाना तथा राज्य में अण्डा व मांस उत्पादन में वृद्धि करना होगा।

Low Input Technology Poultry में संसाधनों की आवश्यकता Commercial Poultry की तुलना में नगण्य होने के कारण सीमान्त कृषक एवं बी.पी.एल. परिवारों द्वारा अपनाया जाना बहुत सुविधाजनक रहता है तथा वर्तमान में शहरी उपभोक्ता द्वारा भी low input technology poultry के मांस तथा अण्डे की मांग में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है इससे इनके उत्पाद का मूल्य भी अधिक मिलने की संभावना बनी रहती है।

परियोजना का परिचय

Low Input Technology Poultry and Pilot Quail Farming Development Project के अन्तर्गत राज्य के 23 जिलों में 34950 पारिवारिक इकाइयों के low input technology poultry, के तहत 525 पारिवारिक इकाइयों को quail farming के अन्तर्गत लाभांशित किया जावेगा परियोजना की अवधि 3 वर्ष की रहेगी।

लाभान्वित पारिवारिक इकाइयों का वर्षवार संख्या

वर्ष	Low Input Technology Poultry	Quail Farming
प्रथमवर्ष	5300	75
द्वितीय वर्ष	13900	150
तृतीय वर्ष	15750	300
कुल	34950	525

परियोजना क्रियान्वयन संरचना

1. परियोजना अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमोदित राजकीय एवं private organization से हेचिंग अण्डों का क्रय राजकीय कुक्कुटशाला खातीपुरा जयपुर द्वारा किया जावेगा।
2. राजकीय कुक्कुट शाला खातीपुरा जयपुर परियोजना के लक्ष्य अनुसार अण्डों के क्रय की विस्तृत योजना बना करके क्रय की कार्यवाही करेगी।
3. निदेशालय पशुपालन विभाग द्वारा सम्बन्धित जिलों एवं राजकीय कुक्कुट शाला खातीपुरा के लक्ष्यों का आवंटन किया जाएगा तथा सम्बन्धित को राजकीय कुक्कुटशाला खातीपुरा जयपुर की अनुशंसा पर राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

4. राजकीय कुक्कुटशाला खातीपुरा जयपुर पर परियोजना के लक्ष्यो अनुसार चूजा उत्पादन हेतु हैचिंग एवं ब्रूडिंग की सुविधा विकसित की जाएगी।
5. एक दिवसीय चूजों का वितरण मदर युनिट को किया जाएगा चूंकि चूजों की Brooding की व्यवस्था जटिल तथा छोटे किसानो के स्तर पर किया जाना मुश्किल होता है अतः कलस्टर स्तर पर प्रगतिशील किसानो के यहा 1000 चूजों की मदर युनिट स्थापित की जाएगी। मदर युनिट से छोटे किसानो को 20-20 (LIT Backyard युनिट) का वितरण किया जाएगा।

मदर युनिट हेतु प्रगतिशील कुक्कुट पालक के चयन की प्रक्रिया सम्बन्धित जिलो में संयुक्त निदेशक पशुपालन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रगतिशील पशुपालको के चयन के लिए राजकीय कुक्कुटशाला खातीपुरा जयपुर को अनुशंषा की जाएगी।

राजकीय कुक्कुटशाला खातीपुरा जयपुर द्वारा मदर युनिट संचालित करने वाले कुक्कुट पालको के चयन पश्चात उक्त कुक्कुट पालको को छः दिवसीय प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम राजकीय कुक्कुटशाला खातीपुरा जयपुर में आयोजित किया जाएगा।

चयन की योग्यता

1. कुक्कुट पालक वर्ष में कम से कम चार मदर युनिट पालने तथा वितरण करने का इच्छुक हो तथा इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करें। मदर युनिट संचालित करने वाले कुक्कुट पालक को राशि रु.10,000 प्रति युनिट एडवांस में राजकीय कुक्कुटशाला खातीपुरा जयपुर को जमा करनी होगी।
2. कुक्कुट पालक द्वारा मदर युनिट हेतु चुजे प्राप्त करने से पूर्व लगभग 600Sq ft(20x30) का शेड मय ब्रूडिंग सुविधा बना कर स्थानीय पशु चिकित्सक से भौतिक सत्यापन कराना आवश्यक होगा।
3. कुक्कुट पालक 6 दिवसीय प्रशिक्षण जयपुर में पाने को तैयार हो।
4. स्थानीय पशु चिकित्सक उक्त योजना की शुरुआत सम्बन्धित जिले में सम्भावित कलस्टर में की जावेगी जिससे की एक सीमित क्षेत्र में विकास किया जा सके तथा वहा से मार्केटिंग की व्यवस्था भी हो सके।

क्रियान्वयन प्रक्रिया


1. मदर युनिट स्थापना हेतु प्रगतिशील कुक्कुटपालको को कुक्कुट आवास निर्माण हेतु आवास की कुल लागत 1,50,000 के आधार पर 40% अर्थात रु. 60,000 प्रति आवास का अनुदान भी परियोजनान्तर्गत दिया जाएगा। कुक्कुट पालक द्वारा पूर्व में निर्मित कुक्कुट आवास पर ही मदर युनिट सधारण करने पर उसे सुदृढीकरण (मरम्मत, रगाई, पुताई, उपकरण इत्यादि) हेतु अधिकतम रु.30,000 का अनुदान देय होगा।
2. मदर युनिट के सधारक कुक्कुट पालक के पास कुक्कुटशाला की भूमि का स्वामित्व होना अनिवार्य है। मदर युनिट संचालक को आवेदन के साथ में भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।
3. अनुदान आवास निर्माण के पश्चात सम्बन्धित संयुक्त निदेशक के स्तर पर गठित कमेटी (नोडल अधिकारी, स्थानीय VO/SVO एवं लेखा प्रतिनिधि) की अनुशंषा पर कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा कुक्कुटपालक के Bank Account में जमा कराया जाएगा

4. राजकीय कुक्कुटशाला खातीपुरा जयपुर द्वारा मदर युनिट हेतु एक दिवसीय चूजा निर्धारित राशि (वर्तमान में रू.10/-प्रति चूजा) तथा कुल 1000 चूजा प्रति मदर युनिट चयनित एवं प्रशिक्षित कुक्कुटपालको को उपलब्ध कराया जाएगा।
5. मदर युनिट द्वारा चूजो का चार सप्ताह तक वैज्ञानिक प्रबन्धन से पालन पोषण किया जाएगा तथा चार सप्ताह पश्चात उनको 20-20 चूजों की LIT युनिट में कुल 50 परिवारो को (सीमान्त, भूमिहीन, बी.पी.एल., महिला) on cost basis वितरण किया जाएगा (वर्तमान में 25 रू प्रति चूजा दर है)।
6. मदर युनिट द्वारा 1000 चूजा प्राप्त करने से पूर्व ही 20-20 चूजा वितरण किए जाने वाले कुक्कुट पालको की सुची मय नाम, पता तथा मोबाइल न. निकटतम पशु चिकित्सक के अनुमोदन पश्चात निर्धारित प्रपत्र में सम्बन्धित संयुक्त निदेशक कार्यालय को प्रार्थना पत्र के साथ ही उपलब्ध करायी जाएगी।
7. मदर युनिट द्वारा LIT युनिट के वितरण पश्चात निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण निकटतम पशु चिकित्सक के अनुमोदन पश्चात सम्बन्धित संयुक्त निदेशक कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा। (मय विवरण के तीन फोटोग्राफ)
8. संतोषजनक वितरण पश्चात संयुक्त निदेशक कार्यालय मदर युनिट को 50रू./चूजा (चार सप्ताह उपरान्त) की दर से प्रोत्साहन एवं मानदेय राशि प्रगतिशील कुक्कुट पालक को उसके Bank Account में प्रदान की जाएगी।
9. इसके अतिरिक्त राजकीय कुक्कुटशाला खातीपुरा जयपुर से एक दिवसीय चूजों के मदर युनिट तक परिवहन का वास्तविक शुल्क भी मदर युनिट के कुक्कुट पालक को संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा Bank Account में प्रदान की जाएगी।
10. LIT युनिट के कुक्कुट पालको का चयन मदर युनिट के प्रगतिशील कुक्कुट पालक की प्रस्तावना पर स्थानीय पशु चिकित्सक द्वारा किया जाएगा।
11. LIT युनिट की स्थापना हेतु छोटे कुक्कुट आवास/Night Shelter के लिए रू. 1500/-प्रति LIT युनिट की दर से प्रोत्साहन राशि संयुक्त निदेशक पशुपालन द्वारा लाभार्थी के Bank Account में प्रदान की जाएगी। (LIT युनिट के छोटे कुक्कुट आवास /दडबा /Night Shelter का भौतिक सत्यापन स्थानिय पशु चिकित्सक द्वारा किया जावेगा)
12. LIT युनिट के कुक्कुट पालको को स्थानीय स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
13. मदर युनिट में प्रगतिशील कुक्कुट पालको को एक वर्ष में परियोजना के अनुसार चार बार मदर युनिट की (कुल चार हजार चूजा) संधारण तथा वितरण करना अनिवार्य होगा। चयन के समय प्रगतिशील कुक्कुट पालक से निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र समित करना होगा।

पशु पालन विभाग

राजकीय कुक्कुट शाला खातीपुरा, जयपुर
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत
Low Input Technology Poultry Project
के तहत मदर युनिट आवंटन हेतु आवेदन पत्र

श्रीमान पशु चिकित्सा अधिकारी
पशु चिकित्सालय
तहसील/उपखण्ड.....
जिला
महोदय,



मैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत राजकीय कुक्कुट शाला खातीपुरा जयपुर पर संचालित Low Input Technology Poultry Project के तहत वर्ष में मदर युनिट (1000 एक दिवसीय चूजे) चार सप्ताह तक वैज्ञानिक पद्धति से पाल कर 50 चयनित परिवारों को चूजे 20 प्रति परिवार वितरित करना चाहता हूँ एवं वर्ष में न्यूनतम चार मदर युनिट (4x1000) चूजे पाल कर कूल 200 चयनित परिवारों को चूजे वितरण करूंगा। इस बाबत मेरा विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

1. नाम
 2. पिता/पति का नाम
 3. जाति/श्रेणी
 4. पूर्ण पता
 5. आधारभूत सुविधाएँ (अ) कुक्कुट हाउस/शेड.....
(ब) पानी की उपलब्धता
 - (स) बिजली की उपलब्धता
 - (द) Brooding की सुविधाकुक्कुट हाउस (पोल्ट्री फार्म) की लोकेशन का पता.....
6. मोबाईल नं./दूरभाष नं.....

7. आवेदक का मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/बी.पी.एल. कार्ड/जाति/निवास प्रमाण पत्र जो लागू हो संलग्न है
8. पूर्व में मूर्गी पालन का अनुभव तथा प्रशिक्षण तथा अन्य शर्तों के संबंध में शपथ – पत्र रूपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर संलग्न है।
9. योजना के अनुरूप मदर युनिट संचालक के रूप में मेरे चयन उपरान्त मुझे कुक्कुट हाउस/शेड के निर्माण लागत में से 60000/- रूपये (अक्षरे साठ हजार रूपये मात्र) की राशि दिलवाने की व्यवस्था करें। अथवा पूर्व में निर्मित पोल्ट्री शेड के सुदृढीकरण (मरम्मत, रगाई, पुताई, उपकरण इत्यादि) हेतू अधिकतम 30,000/- रूपये (तीस हजार मात्र) दिलाने की व्यवस्था करावें।
10. मेरी कुक्कुटशाला मेरे स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित है। जिसके भू-स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर आवेदन कर्ता

अंगूठे का निशान

संयुक्त निदेशक

पशुपालन विभाग

जिला

मूल आवेदन पत्र मय प्रमाणीकरण के प्रेषित है । आवेदन कर्ता के पास मदर युनिट पालन हेतु शेड (20'x30') वर्ग फीट न्यूनतम उपलब्ध है (जहाँ Brooding सुविधा भी है) तथा निर्धारित पोल्ट्री शेड का निर्माण करा लिया गया है।/1000 चूजों को पालने हेतू पर्याप्त पोल्ट्री शेड व ब्रुडिंग की सुविधा उपलब्ध है।

हस्ताक्षर पशुचिकित्सा अधिकारी

मय नाम/पदनाम मुहर

मोबाईल –

कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग.....

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पति/पत्नि श्री..... जाति
..... निवासी
.....तहसील/कलस्टर..... जिला
योजना के मापदण्ड पूर्ण करते हैं । चयनित परिवार 4 सप्ताह के चूजे लेने को सहमत है एवं वर्ष
..... में न्यूनतम चार मदर युनिट पाल कर 200 चयनित परिवारों को चूजे वितरण करने हेतु
शपथ पत्र प्रस्तुत किया है । इस बाबत सुनिश्चित कर लिया गया है ।

अतः : इन्हे वर्ष में योजनान्तर्गत मदर युनिट स्वीकृत कर चूजे प्रदान किये जाने की
अनुशंसा की जाती है ।

संलग्न:-

1. क्र.सं. 8 में से (जो लागू हो)
2. क्र.सं. 9
3. पात्र 50 कुक्कुट पालको की चयनित सूची

संयुक्त निदेशक

मय मोहर

शपथ-पत्र का प्रारूप

(मदर युनिट पालन के लिए 100/- रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

श्री/श्रीमती..... पुत्र/पति श्री..... जाति.....निवासी

..... तहसीलजिला शपथ पूर्वक बयान करता हूँ

कि :-

1. यह है कि मैंने पशुपालन विभाग के अधीन राजकीय कुक्कुट शाला खातीपुरा, जयपुर में संचालित Low Input Technology Poultry Project योजना के अन्तर्गत चार मदर युनिट (4x1000 एक दिवसीय चूजे) पालने के लिए गार्ड लाइन व शर्तों को भलीभांति पढ़ लिया है व समझ लिया है तथा सभी शर्तों से सहमत हूँ ।
2. यह है कि मेरे पास वर्तमान मेंफीट..... फीट का पोल्ट्री शेड/कुक्कुट आवास है जिसमें पीने योग्य पानी व बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है अथवा मैंफीट.....फीट का मुर्गी हाउस/शेड बनवा लूंगा। अथवा पूर्व में निर्मित शेड काम में लूंगा।
3. मेरी कुक्कुटशाला मेरे स्वयं के स्वामित्व वाली भूमि पर निर्मित है।/निर्माण करवा रहा हूँ। स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज सलंगन कर रहा हूँ ।
4. स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा चयनित (वर्ष में कूल 200 परिवारों को) चार सप्ताह तक पाले हुए 20 चूजे प्रति परिवार वितरित करने को सहमत हूँ ।
5. एक दिवसीय चूजे को चार सप्ताह तक पाल कर स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी की उपस्थिति में वितरित करूंगा/करूंगी ।
6. मैं विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशो/निर्देशो एवं दिये गये सुझावो की पालना करूंगा/करूंगी ।

दिनांक

प्रार्थी

गवाह

नाम मय पूर्ण पता

हस्ताक्षर

1.

2.

मदर युनिट संधारक (कुक्कुट पालक) को पोल्ट्री शेड निर्माण/मरम्मत की सहायता राशि के भुगतान संबंधी प्रक्रिया

1. मदर युनिट संधारक का नाम –

2. पिता का नाम –

3. पूर्ण पता –

4. जन्म दिनांक –

5. मोबाईल नं०–

6. बैंक का विवरण –

- बैंक का नाम –
- शाखा –
- IFS कोड –
- आधार कार्ड की संख्या –

7. निर्मित कुक्कुट आवास – साईज.....

मदर युनिट हेतू निर्मित आवास/(मरम्मत, रगाई, पूताई, उपकरण इत्यादि) का भौतिक सत्यापन कर राशि के भुगतान की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर मय मोहर

हस्ताक्षर मय मोहर
लेखा प्रतिनिधी

नोडल अधिकारी

(निकटतम पशुचिकित्सा अधिकारी)

दिनांक..... को नवीन शेड/(मरम्मत, रगाई, पूताई, उपकरण इत्यादि) राशि रू...../– प्राप्त की।

मदर युनिट संधारक के हस्ताक्षर

प्रमाणित

संयुक्त निदेशक

पशुपालन विभाग

जिला

मदर युनिट संधारक (कुक्कुट पालक) को सहायता राशि के भुगतान संबंधी प्रक्रिया

1. मदर युनिट संधारक का नाम –
2. पिता का नाम –
3. पूर्ण पता –
4. जन्म दिनांक –
5. मोबाईल नं०–
6. बैंक का विवरण –
 - बैंक का नाम –
 - शाखा –
 - IFS कोड –
 - आधार कार्ड की संख्या –
7. संधारित मदर युनिट की संख्या –
8. वितरित बेकयार्ड LIT युनिट की संख्या –

चार सप्ताह के Chicks वितरण का भौतिक सत्यापन कर राशि के भुगतान की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर मय मोहर

हस्ताक्षर मय मोहर
लेखा प्रतिनिधी

नोडल अधिकारी

(निकटतम पशुचिकित्सा अधिकारी)

दिनांक..... को मानदेय /प्रोत्साहन राशि रु...../—प्राप्त की।

मदर युनिट संधारक के हस्ताक्षर

प्रमाणित

संयुक्त निदेशक

पशुपालन विभाग

जिला

पशु पालन विभाग

राजकीय कुक्कुट शाला खातीपुरा, जयपुर

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत

Low Input Technology Poultry Project


के तहत LIT Backyard युनिट आवंटन हेतु आवेदन पत्र

श्रीमान पशु चिकित्सा अधिकारी

पशु चिकित्सालय

तहसील/उपखण्ड.....

जिला



महोदय,

मैं राजकीय कुक्कुट शाला खातीपुरा जयपुर पर संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत Low Input Technology Poultry Project के तहत एक Low Input Technology Backyard Poultry Unit प्राप्त करना चाहता हूँ। जिसके लिए मैं विभाग की गाईडलाईन्स एवं शर्तों को पूर्णतया मानने की सहमति प्रदान करता हूँ तथा निर्धारित योग्यता रखता हूँ। इस बाबत मेरा विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. जाति/श्रेणी
4. पूर्ण पता
5. मोबाईल नं./दूरभाष नं.....
6. आवेदक का मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/बी.पी.एल. कार्ड/जाति/निवास प्रमाण पत्र (जो लागू हो संलग्न है).....
7. मैं वचन प्रदान करता/करती हूँ कि मैं योजना के अनुरूप Low Input Technology Backyard Poultry Unit का पालन करूंगा/करूंगी।
8. योजना के अनुरूप मेरा चयन कर मुझे Low Input Technology Backyard Poultry Unit दिलवाने की व्यवस्था करें तथा स्वीकृत योजना के अनुसार मुझे Low Input Technology Backyard Poultry Unit हेतु दड़बा निर्माण की सहायता राशि रु.1500/- (एक हजार पाच सौ रुपये) प्रदान करने की व्यवस्था करें।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर आवेदन कर्ता

अंगूठे का निशान

संयुक्त निदेशक

पशुपालन विभाग

जिला

मूल आवेदन पत्र मय प्रमाणीकरण सहित आवंटन का स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित है।

हस्ताक्षर पशुचिकित्सा अधिकारी

मय नाम/पदनाम मुहर

मोबाईल -

पशुपालन विभाग

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग

क्रमांक

दिनांक

स्वीकृति आदेश

राजकीय कुक्कुट शाला खातीपुरा, जयपुर पर संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत Low Input Technology Poultry Project के तहत Low Input Technology Backyard Poultry Unit (20 IVth week old chicks) वितरण/आवंटन तथा Low Input Technology Backyard Poultry Unit हेतु दड़बा निर्माण की सहायता राशि रू. 1500/- (एक हजार पाच सौ) की निम्नलिखित आवंटियों को भुगतान की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है ।

क्र.सं.	नाम/पता	LIT Unit पक्षी संख्या	सहायता राशि
		20 Chicks	1500 /-
		20 Chicks	1500 /-

संयुक्त निदेशक

पशुपालन विभाग

जिला

क्रमांक

दिनांक

प्रतिलिपि :-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

5.

बैंकयार्ड LIT युनिट (कुक्कुट पालक) को सहायता राशि के भुगतान संबंधी प्रक्रिया

1. बैंकयार्ड LIT युनिट धारक का नाम –

2. पिता का नाम –

3. पूर्ण पता –

4. जन्म दिनांक –

5. मोबाईल नं०–

6. बैंक का विवरण –

- बैंक का नाम –
- शाखा –
- IFS कोड –
- आधार कार्ड की संख्या –

7. LIT युनिट हेतू दडबा / Night Shelter का निर्माण साईज 6 फीट X 4 फीट–

LIT युनिट हेतू दडबा / Night Shelter का निर्माण (साईज 6 फीट X 4 फीट) का भौतिक सत्यापन कर राशि के भुगतान की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर मय मोहर
(निकटतम पशुचिकित्सा अधिकारी)

दिनांक..... को दडबा / Night Shelter की सहायता राशि रु...../–प्राप्त की।

LIT युनिट धारक के हस्ताक्षर

प्रमाणित

संयुक्त निदेशक

पशुपालन विभाग


जिला

पशु पालन विभाग

राजकीय कुक्कुट शाला खातीपुरा, जयपुर
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत
Pilot Quail Farming Development Project
के तहत Quail युनिट आवंटन हेतु आवेदन पत्र

श्रीमान पशु चिकित्सा अधिकारी
पशु चिकित्सालय
तहसील/उपखण्ड.....
जिला

महोदय,



मैं राजकीय कुक्कुट शाला खातीपुरा जयपुर पर संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत Pilot Quail Farming Development Project के तहत एक Quail Unit प्राप्त करना चाहता हूँ। जिसके लिए मैं विभाग की गाईडलाईन्स एवं शर्तों को पूर्णतया मानने की सहमति प्रदान करता हूँ तथा निर्धारित योग्यता रखता हूँ। इस बाबत मेरा विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :-

1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. जाति/श्रेणी
4. पूर्ण पता
5. मोबाईल नं./दूरभाष नं.....
6. आवेदक का मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/बी.पी.एल. कार्ड/जाति/निवास प्रमाण पत्र (जो लागू हो संलग्न है).....
7. मैं वचन प्रदान करता/करती हूँ कि मैं योजना के अनुरूप Quail Unit का पालन करूंगा/करूंगी।
8. योजना के अनुरूप मेरा चयन कर मुझे Quail Unit दिलवाने की व्यवस्था करें तथा स्वीकृत योजना के अनुसार मुझे Quail Unit हेतु दड़बा निर्माण की सहायता राशि रु.1500/- (एक हजार पाच सौ रुपये) प्रदान करने की व्यवस्था करें।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर आवेदन कर्ता
अंगूठे का निशान

संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग
जिला

मूल आवेदन पत्र मय प्रमाणीकरण सहित आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित है।

हस्ताक्षर पशुचिकित्सा अधिकारी
मय नाम/पदनाम मुहर
मोबाईल -

पशुपालन विभाग

संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग

क्रमांक

दिनांक

स्वीकृति आदेश

राजकीय कुक्कुट शाला खातीपुरा, जयपुर पर संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत Pilot Quail Farming Development Project के तहत Quail Unit (20 Vith week old chicks) वितरण/आवंटन तथा Quail Unit हेतु दड़बा निर्माण की सहायता राशि रू. 1500/- (एक हजार पाच सौ) की निम्नलिखित आवंटियों को भुगतान की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है ।

क्र.सं.	नाम/पता	Quail Unit पक्षी संख्या	सहायता राशि
		20 Chicks	1500 / -
		20 Chicks	1500 / -

संयुक्त निदेशक

पशुपालन विभाग

जिला

क्रमांक

दिनांक

प्रतिलिपि :-

- 1.
- 2.
- 3.

- 4.
- 5.

क्वैल युनिट (कुक्कुट पालक) को सहायता राशि के भुगतान संबंधी प्रक्रिया

1. क्वैल युनिट धारक का नाम –
2. पिता का नाम –
3. पूर्ण पता –
4. जन्म दिनांक –
5. मोबाईल नं०–
6. बैंक का विवरण –
 - बैंक का नाम –
 - शाखा –
 - IFS कोड –
 - आधार कार्ड की संख्या –

7. क्वैल युनिट हेतू दडबा/Night Shelter का निर्माण साईज 6 फीट X 4 फीट–

क्वैल युनिट हेतू दडबा/Night Shelter का निर्माण (साईज 6 फीट X 4 फीट) का भौतिक सत्यापन कर राशि के भुगतान की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर मय मोहर
(निकटतम पशुचिकित्सा अधिकारी)

दिनांक..... को दडबा/Night Shelter की सहायता राशि रु...../–प्राप्त की।

क्वैल युनिट धारक के हस्ताक्षर

प्रमाणित

संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग

जिला